

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13082025-265400
SG-DL-E-13082025-265400असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 176
No. 235]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947	[N. C. T. D. No. 176

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

फा0सं0 3(10)/2025/पुरा0/1479 .- पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 11 जून, 2025 की अधिसूचना फा0 सं0 3(10)/2025/पुरा0/1114 जो दिनांक 11 जून, 2025 को जारी संख्या 178 द्वारा दिल्ली राजपत्र, भारतीय असाधारण, भाग- IV में प्रकाशित की गई, के प्रथम परिच्छेद में

“जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 12213/2019 जिसका शीर्षक ‘राजीव सूरी बनाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं अन्य’ है, के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18/02/2025, 25/03/2025, 08/04/2025, 14/05/2025 और 16/05/2025 के आदेशों द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसरण में एतद् द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट शेख अली की गुमटी स्मारक तथा इसके साथ संलग्न स्थल योजना को संरक्षित स्मारक घोषित करती है।”, को

“जबकि शेख अली की गुमटी स्मारक में परिवर्तन, क्षति, विरूपण तथा क्षय होने का खतरा है, जिसके कारण एक मुकदमा हुआ है, अर्थात्, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 12213/2019 जिसका शीर्षक ‘राजीव सूरी बनाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं अन्य’ है, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, तथा जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

सरकार ने दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची में निर्दिष्ट शेख अली की गुमटी स्मारक तथा इसके साथ संलग्न स्थल योजना को संरक्षित स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है” के रूप में पढ़ा जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विवेक अग्रवाल, निदेशक

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

CORRIGENDUM

Delhi, the 12th August, 2025

No.F.3(10)/2025/Archy/ 1479—In the Notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi, Department of Archaeology, No.F.3(10)/2025/Archy/1114 dated the 11th June, 2025 published in Delhi Gazette of Indian Extraordinary, Part-IV, Issue No. 178 dated the 11th June, 2025, in first paragraph

“Whereas the Government of the National Capital Territory of Delhi in pursuance to the directions of Hon'ble Supreme Court of India vide Orders dated 18/02/2025, 25/03/2025, 08/04/2025, 14/05/2025 and 16/05/2025 in the matter SLP (C) 12213/2019 titled 'Rajiv Suri Vs Archaeological Survey of India and Ors' hereby declares the Gumti of Shaikh Ali monument specified in the Schedule and Site Plan annexed hereto, to be a protected monument in exercise of the powers conferred by the Section 4 of The Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005)”,

shall be read as,

“Whereas as the Gumti of Shaikh Ali monument has been subject to alteration, injury, defacement and is in danger of falling into decay, which has led to a litigation, i.e., SLP (C) 12213/2019 titled 'Rajiv Suri Vs Archaeological Survey of India and Ors' which is pending before the Hon'ble Supreme Court of India, and whereas the Government of the National Capital Territory of Delhi has decided to declare the Gumti of Shaikh Ali monument specified in the Schedule and Site Plan annexed hereto, to be a protected monument in exercise of the powers conferred by the Section 4 of The Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005)”.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

VIVEK AGARWAL, Director